



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-183

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 271107 दिनांक 10/12/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Hanuman Sahay Saini S/o KANARAM एवं Gopal Lal Saini S/o KANARAM SAINI एवं Ram Chand Saini S/o KANARAM SAINI एवं Suva Lal Saini S/o KANARAM एवं Pokhar Mal Saini S/o Kanaram	श्री कानाराम सैनी पुत्र श्री पन्ना लाल सैनी	138	162.00 SQ. METER	JDA	KARAMCHARI YOJANA TEELAWALA Sector/Block-A	Name Transfer	जविप्रा की योजना टीलावाला के भूखण्ड संख्या ए-138 क्षेत्रफल 162.00 वर्ग मीटर की लीजडीड श्री कानाराम सैनी पुत्र श्री पन्ना लाल सैनी के नाम से दिनांक 12.12.2005 को जारी की गयी है। तत्पश्चात श्री कानाराम की दिनांक 08.12.2015 को मृत्यु हो चुकी है। तत्पश्चात श्री कानाराम की मृत्यु उपरान्त उनके वारिस पुत्र पोखरमल, रामचन्द, गोपाल हनुमान सहाय, सुवालाल द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं राशन कार्ड प्रस्तुत कर नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

प्रतिलिपि:-

1. Hanuman Sahay Saini S/o KANARAM एवं Gopal Lal Saini S/o KANARAM SAINI एवं Ram Chand Saini S/o KANARAM SAINI एवं Suva Lal Saini S/o KANARAM एवं Pokhar Mal Saini S/o Kanaram को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति ऑनलाइन अपलोड करें।
2. रजिस्ट्रार जनरल की विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |